विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर के अवनिर्धारण, राज्य आबकारी शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, यात्री तथा माल कर और रॉयल्टी आदि के अनुदग्रहण/ अल्पोद्ग्रहण से सम्बंधित ₹72.17 करोड़ की वित्तीय प्रभावशीलता से अंतर्विष्ट 27 परिच्छेद तथा ***'बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया'*** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। कुछ प्रमुख परिणामों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

वर्ष 2013-14 की सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष की ₹15,598.14 करोड़ की तुलना में ₹15,711.08 करोड़ थी। इसमें से 44 प्रतिशत कर राजस्व (₹5,120.91 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹1,784.53 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई थी। शेष 56 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों (₹2,491.53 करोड़) तथा सहायता अनुदानों (₹6,314.11 करोड़) के राज्यांश के रूप में भारत सरकार से प्राप्त किया गया।

(परिच्छेद 1.1.1)

वर्ष 2013-14 के दौरान बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल एवं यात्री कर, वन प्राप्तियां तथा खान एवं भू-गर्भ विज्ञान की 185 इकाइयों के अभिलेखों की परिचालित की गई नमूना-जांच से 754 मामलों में कुल ₹212.21 करोड़ का राजस्व का अवनिर्धारण/ अल्पोद्ग्रहण/ हानि उदघाटित हुई। वर्ष के दौरान सम्बंधित विभागों ने 620 मामलों में ₹27.98 करोड़ से अंतर्ग्रस्त अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में उजागर की गई थी। विभागों ने 2013-14 के दौरान विगत वर्षों की लेखापरीक्षा परिणामों से सम्बंधित 447 मामलों में ₹9.32 करोड़ का संग्रहण किया।

(परिच्छेद 1.10)

II. बिक्री व्यापार आदि पर कर/ मूल्य वर्धित कर

'बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा परिचालित की गई थी। कुछ महत्त्वपूर्ण परिणाम निम्नवत् हैं:

- अप्रैल 2008 से मार्च 2013 तक की अवधि में शेष बकाया ₹113.29 करोड़ से ₹ 235.33 करोड़ (52 प्रतिशत) बढ़ा।

(परिच्छेद 2.3.5)

- ₹10.98 करोड़ की अतिरिक्त मांग की बकाया में गणना नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप विभागीय पुस्तकों में बकाया की अल्प गणना हुई। इसके अतिरिक्त प्रत्यार्पित मामलों के कर निर्धारण न किये जाने के कारण ₹12.92 करोड़ की राशि के बकाया की कटौती उचित नहीं थी।

(परिच्छेद 2.3.6.1)

- कर की अतिरिक्त मांग के विलम्बित भुगतान पर ₹38.33 लाख की राशि के ब्याज 104 मामलों में न तो कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मांगे गए थे और न ही चूककर्त्ताओं द्वारा भुगतान किए गए।

(परिच्छेद 2.3.11)

- व्यापारियों से जमानत की अनुचित स्वीकृति/ जमानत की अवसूली तथा प्रतिभूति के प्राप्त न होने/ अपवर्तन के आधार पर बकाया की वसूली के लिए उपलब्ध उपायों के समाप्त न होने के कारण ₹130.85 करोड़ की बकाया राशि को वसूल नहीं किया जा सका था।

(परिच्छेद 2.3.14.1 से 2.3.14.3)

लेनदेन लेखापरीक्षा

सकल कुल बिक्री अथवा कर योग्य कुल बिक्री कुल प्रमाणित प्राप्तियों की तुलना में निम्नतर की ओर निर्धारित की गई थी तथा माल/ किराया प्रभार विवरणियों में सम्मिलित नही किये गए थे जिसके परिणामस्वरूप 13 मामलों में ₹4.43 करोड़ के कर के अल्पोद्ग्रहण के अतिरिक्त ₹3.92 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.4.1 तथा 2.4.2)

12.50 प्रतिशत /13.75 प्रतिशत की लागू दर के बजाए चार/ पांच प्रतिशत की निम्नतर दर पर किये गए बिक्री के कर निर्धारण के परिणामस्वरूप 11 मामलों में ₹7.00 करोड़ के कर की अल्प उगाही के अतिरिक्त ₹4.96 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.5)

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा श्रम/ सामग्री प्रभारों के आधार पर सकल कुल बिक्री से ₹18.22 करोड़ की अधिक कटौती के परिणामस्वरूप 11 मामलों में ₹2.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(परिच्छेद 2.6)

₹108.02 करोड़ की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत के कर की रियायती दर का लाभ औद्योगिक रूप से विकासशील/ पिछड़े क्षेत्रों में स्थित सात औद्योगिक इकाइयों को दिया गया था जिन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी इकाइयों में हिमाचल के मूल निवासियों को 70 तथा 80 प्रतिशत अनिवार्य रोजगार नहीं दिये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹1.45 करोड़ के कर के अवनिर्धारण के अतिरिक्त ₹1.20 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.7)

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण/ अपूर्ण/ डूप्लीकेट सांविधिक प्रपत्र **'सी'** तथा **'एफ'** की स्वीकृति तथा कर की छूट/ रियायती दर की अनुमति के परिणामस्वरूप 10 मामलों में ₹44.30 लाख

के कर के अल्पोद्ग्रहण के अतिरिक्त ₹41.16 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.8.1 तथा 2.8.2)

विभिन्न पद्धतियों को लागू करते हुए अंत स्टॉक पर कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹1.56 करोड़ के निवेश कर क्रेडिट की गलत अनुमति से 50 मामलों में ₹1.57 करोड़ की राशि की कर दायिता आस्थगित हुई थी, इसके अतिरिक्त ₹98.06 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.9.1)

III. राज्य आबकारी

शराब के 4,92,292.40 प्रूफ लीटर न उठाए जाने के कारण 237 मामलों में 2011-12 के दौरान भुगतान योग्य अतिरिक्त फीस की कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा मांग नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹98.46 लाख की राशि के आबकारी शुल्क की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 3.3)

दो आसवनियों तथा चार मद्यनिर्माणशालाओं में तैनात आबकारी स्थापना स्टाफ के ₹38.77 लाख की वेतन की देयताएं 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए लाइसेंसधारियों से वसूल नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 3.9)

IV. स्टाम्प शुल्क

पटवारियों द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदनों को गलत तैयार करने के कारण ₹2.77 करोड़ के स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली तथा 321 मामलों में सम्पत्ति के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण हुआ था।

(परिच्छेद 4.3.1 तथा 4.3.2)

पंजीकरण प्रलेखों में आसन्न महॉल की निम्नतर दरों के लागू किये जाने के कारण आठ मामलों में ₹2.16 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प उगाही हुई।

(परिच्छेद 4.4.1 तथा 4.4.2)

V. वाहन, माल तथा यात्रियों पर कर

अन्य राज्यों, हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी स्टेज कैरिजों के स्टेज कैरिज मालिकों के सम्बंध में गलत दर तथा मील-दूरी लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 226 मामलों में शास्ति से अंतर्विष्ट ₹11.67 करोड़ के विशेष पथ कर का अल्प निर्धारण/उगाही हुई।

(परिच्छेद 5.3.3 तथा 5.3.4)

जारी परमिटों की संख्या तथा सड़क पर चल रही स्टेज कैरिजों की संख्या के अभिलेखों का उचित अनुरक्षण किए बिना विशेष पथ कर (न्यून शास्ति से अंतर्विष्ट) की छूट दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप 10 मामलों में ₹0.25 करोड़ की न्यून शास्ति से अंतर्विष्ट ₹1.27 करोड़ के विशेष पथ कर का निर्धारण नहीं हुआ।

(परिच्छेद 5.3.6)

2011-12 तथा 2012-13 वर्षों के लिए ₹2.67 करोड़ का सांकेतिक कर तथा प्रवेश कर 4,207 वाहन मालिकों द्वारा न तो अदा किया गया और न ही विभाग द्वारा मांगा गया।

(परिच्छेद 5.4.1 तथा 5.4.2)

मोटर वाहन कर विभाग के पास पंजीकृत होने के पश्चात आबकारी एवं कराधान विभाग के पास 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए 3,581 वाणिज्यिक वाहन पंजीकृत नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप सम्बंधित पंजीकरण लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य समन्वय की कमी के कारण ₹2.29 करोड़ की राशि के यात्री तथा माल कर की उगाही नहीं की गयी थी।

(परिच्छेद 5.6)

VI. अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

परियोजना के संरेखण क्षेत्र में पड़ने वाले विभिन्न प्रजातियों के 14,185 पेड़ों की लागत के प्रभारित न किये जाने/ अल्प प्रभारित किये जाने के कारण पांच वन मण्डलों में मूल्य वर्धित कर से अंतर्विष्ट ₹33.94 लाख के राजस्व की अवसूली/ अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 6.4)

खनिजों के अवशोषण, रॉयल्टी की गलत दरें लागू करना, निष्क्रिय किराया, न्यूनतम किराया के अवनिर्धारण तथा ब्याज के अनुद्ग्रहण के कारण 136 मामलों में ₹55.73 लाख के सरकारी राजस्व की अवसूली/ अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 6.7.1 से 6.7.1.4)